प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 16.06.2026

- **थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या की घटना में शामिल वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 12.06.2026 को थाना मंगलपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा मुकदमा वादी की पड़ोसी ज्योति पुत्री मान सिंह की हत्या करके शव को छिपाने के लिये कार में लादकर ले जाकर सेंगुर नदी में फेंक देने के संबंध में दी गयी । जिसके आधार पर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात पर मु0अ0सं0 156/2026 धारा 103(1)/238ए बीएनएस बनाम रेखा देवी आदि 04 नफर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए वांछित नामित अभियुक्त मान सिंह पुत्र श्यामा निवासी ग्राम चन्दकुरा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 16.06.2026 को औरंगाबाद मोड मंगलपुर झींझक रोड पर बनी बाबा मजार पर थाना क्षेत्र मंगलपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किये जा रहे है। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. मान सिंह उम्र करीब 48 वर्ष पुत्र श्यामा निवासी ग्राम चन्दकुरा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात ।

पूछताछ अभियुक्त– अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 05.06.2026 को शाम को मैं अपनी पुत्री ज्योति के होने वाले पति पियूष के बाबा की मृत्यु में ग्राम खिरवा, डेरापुर में गया था, वहां से मैं अपनी रिश्तेदारी ग्राम शाबापुर शादी में चला गया था दिनांक 06.06.2026 को सुबह मुझे मेरी पुत्रवधु रेखा व मेरे छोटे पुत्र मिलन फोन कर बताया कि ज्योति ने फांसी लगा ली है इस सूचना पर मैंने कहा और किसी को मत बताना मैं घर आ रहा हूँ जो हो गया सो हो गया फिर मैं अपने घर वापस आया जहां पर मेरी पुत्रवधु रेखा व मेरा छोटा पुत्र मिलन, ज्योति की लाश के पास मौजूद मिले फिर मैंने शव को देखकर रेखा व मिलन से कहा कि ये क्या किया तुम दोनो ने मिलकर ज्योति की हत्या कर दी औऱ मुझे बता रहे हो कि ज्योति ने फांसी लगा ली है फिर मिलन ने मुझसे कहा कि शांत हो जाओ मैं जैसा कहता हूँ वैसा करों नही तो तुमको भी जान से मार दूंगा फिर मिलन ने अपने दोस्त सुनील उर्फ मौला को ग्राम भटेलन पुरवा से कहा कि किसी अपने दोस्त की कार लेकर आ जाओ जिस पर सुनील उर्फ मौला अपने किसी दोस्त को साथ लाकर उसकी कार सहित आया उसके बाद मिलन ने मुझसे लाश को ठिकाने लगाने की कहा फिर हम लोग ज्योति की लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैं, मिलन, सुशील उर्फ मौला औऱ जो कार लेकर आया था उसका नाम मुझे नही पता ने ज्योति की लाश को उढाई हुई दरी से लपेटकर एंव उसी में हत्या करने वाले चाकू को छिपाकर कार में रखकर हम सभी लोग सेंगुर नदी पर ले जाकर लाश को नदी में फेंक दिया हम सब लोग लाश फेंककर घर वापस आ गये लेकिन दिनांक 08.06.2026 को हम लोगो को जब यह पता चला कि ज्योति की लाश पुलिस को मिल गयी है तो हम सभी लोग घर छोडकर इधर उधर भाग गये और आज मैं अपनी पत्नी से मिलने घर आया था मिलकर वापस जा रहा था कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया ।

अभियुक्त मानसिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 156/26 धारा 238ए बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात ।

गिरफ्तार करने वाली थाना मंगलपुर पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री महेश कुमार दुबे
2. रि0का0 1097 अभय प्रताप
3. रि0का0 1088 रमन यादव
4. रि0म0का0 1351 दीक्षा